

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-164

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

मांग की तुलना में विद्युत उत्पादन में वृद्धि

*164. श्री दिलीप कुमार तिर्की:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विद्युत उत्पादन की वर्तमान वृद्धि दर इसकी खपत की वृद्धि दर से काफी अधिक है;
- (ख) यदि हां, तो वर्तमान में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के ब्यौरे सहित तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन और इसकी खपत के बीच के अंतर को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"मांग की तुलना में विद्युत उत्पादन में वृद्धि" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 31.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 164 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : वर्ष 2016-17 में विद्युत उत्पादन (नवीकरणीय सहित) की वृद्धि दर 5.8% थी जबकि विद्युत की खपत (आपूर्ति की गई विद्युत) में वृद्धि दर 4.1% थी। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

(ग) : देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 99,209 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है तथा नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 29,462 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
- (iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,10,370 सर्किट किलोमीटर और 2,82,750 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 3,31,214 एमवीए पूरी कर दी गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और कार्यान्वयनाधीन है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडर्स को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 175 गीगावाट की क्षमता अभिवृद्धि के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की योजना बनाई है।

"मांग की तुलना में विद्युत उत्पादन में वृद्धि" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 31.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

प्रति व्यक्ति विद्युत खपत का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/आरईजी.	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
चंडीगढ़	1168	1133	1052	1112	1128
दिल्ली	1613	1446	1561	1557	1574
हरियाणा	1722	1773	1909	1936	1975
हिमाचल प्रदेश	1380	1348	1336	1339	1340
जम्मू व कश्मीर	1043	1066	1169	1234	1282
पंजाब	1761	1810	1858	1919	2028
राजस्थान	982	1011	1123	1164	1166
उत्तर प्रदेश	450	472	502	524	585
उत्तराखंड	1297	1285	1358	1431	1454
उप-जोड़ (एनआर)	852	867	927	957	1003
छत्तीसगढ़	1495	1601	1719	2022	2016
गुजरात	1796	1973	2105	2248	2279
मध्य प्रदेश	753	764	813	929	989
महाराष्ट्र	1239	1183	1257	1318	1307
दमन व दीव	7927	8003	6960	7836	7965
दादर व नागर हवेली	14341	14515	13769	15137	15783
गोवा	2045	2198	1803	2738	2466
उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	1284	1313	1393	1515	1533
आंध्र प्रदेश	1135	1196	1040	1230	1319
तेलंगाना			1356	1439	1551
कर्नाटक	1129	1179	1211	1242	1367
केरल	630	645	672	704	763
तमिलनाडु	1226	1544	1616	1688	1847
पुडुचेरी	2136	1692	1655	1672	1784
लक्षद्वीप	592	665	657	649	633
उप-जोड़ (एसआर)	1094	1213	1271	1316	1432
बिहार	145	160	203	258	272
झारखंड	847	810	835	884	915
ओडिशा	1209	1349	1419	1564	1622
पश्चिम बंगाल	594	609	647	660	665
सिक्किम	862	700	685	687	806
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	559	368	361	355	370
उप-जोड़ (ईआर)	552	579	618	675	694
अरुणाचल प्रदेश	719	503	525	600	648
असम	240	280	314	322	339
मणिपुर	353	266	295	360	326
मेघालय	690	684	704	835	832
मिजोरम	469	445	449	503	523
नागालैंड	268	259	311	346	345
त्रिपुरा	296	331	303	329	470
उप-जोड़ (एनईआर)	298	317	338	369	392
कुल अखिल भारत)	914	957	1010	1075	1122

टिप्पणी: प्रति व्यक्ति खपत = (सकल ऊर्जा उत्पादन + निवल आयात) मध्य-वर्ष जनसंख्या

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1667

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

अत्यधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों की पहचान

1667. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के अत्यधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उद्योगों द्वारा ऊर्जा की खपत सीमित करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त मानदण्डों का सभी उद्योगों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ऊर्जा खपत संबंधी अनिवार्य मानकों का उद्योगों द्वारा अनुपालन किया जाए?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : सरकार के पास ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के खण्ड (छ) और (ढ) के अंतर्गत ऊर्जा खपत मानदंडों और मानकों को स्थापित करने और विनिर्धारित करने तथा निर्दिष्ट उपभोक्ताओं को ऐसे खपत मानदंडों और मानकों का अनुपालन करने के लिए निदेश देने की शक्ति है। तदनुसार, सरकार ने निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम के अंतर्गत 11 क्षेत्रों/उद्योगों में 737 उच्च ऊर्जा खपत वाली यूनिटें चिह्नित की हैं और विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) कमी लक्ष्य देते हुए इन यूनिटों में ऊर्जा खपत

प्रतिबंधित करने के लिए मानदंड अधिसूचित किए हैं। इन यूनिटों का राज्य-वार और उद्योग-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) से (च) : आज की तिथि के अनुसार पीएटी स्कीम के चक्र-1 को पूरा कर दिया गया है, जिनमें ऊर्जा खपत में समग्र 4.05% की कमी को प्राप्त करने के लिए अपने एसईसी को कम करने के लिए 8 क्षेत्रों में 478 उच्च ऊर्जा खपत करने वाले यूनिटों को अधिदेशित किया गया था जिससे कुल 6.686 मिलियन टन के समतुल्य ऑयल (एमटीओई) की ऊर्जा बचत हुई जिसके लिए 8.64 एमटीओई वास्तविक उपलब्धि रही है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने कड़ी निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया बनाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्दिष्ट औद्योगिक यूनिटों द्वारा ऊर्जा खपत में अनिवार्य कमी का अनुपालन किया जाता है। वे यूनिटें जो एसईसी स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हैं और जो लक्ष्य से कम हैं। व्यापारयोग्य अपने अतिरिक्त बचत के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ईएस सर्टिफिकेट) प्राप्त कर सकते हैं। वे यूनिटें जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहती हैं, वे या तो अपनी स्वयं की बचत से अथवा ईएस सर्टिफिकेट के क्रय के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के दंड प्रावधानों के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1667 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

11 क्षेत्रों में अधिक ऊर्जा खपत करने वाले अभिचिन्हित निर्दिष्ट उपभोक्ता

राज्य का नाम	एल्युमी नियम	सीमेंट	क्लोरोलकाली	डिस्कॉम	लुगदी एंड पेपर	उर्वरक	लौह एवं इस्पात	कपड़ा	टीपीपी	रिफाइनरी	रेलवे		कुल
											रेलवे (जोनल)	रेलवे (उत्पादन)	
आंध्र प्रदेश	0	21	2	2	3	2	1	0	14	1	0	0	46
असम	0	0	0	1	2	2	0	0	4	2	1	0	12
बिहार	0	1	0	2	0	0	0	0	2	1	1	0	7
छत्तीसगढ़	1	9	0	1	0	0	29	0	17	0	1	0	58
दिल्ली	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	1	0	8
गोवा	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5
गुजरात	0	9	10	4	2	6	4	21	22	4	0	0	82
हरियाणा	0	0	0	2	1	1	1	2	6	1	0	0	14
हिमाचल प्रदेश	0	5	0	1	1	0	0	7	0	0	0	0	14
झारखंड	1	3	1	1	0	0	3	0	8	0	0	0	17
जम्मू व कश्मीर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
कर्नाटक	1	6	0	4	1	1	9	3	5	1	0	1	32
केरल	0	1	1	1	1	1	0	0	3	1	0	0	9
मध्य प्रदेश	1	13	1	3	1	2	0	12	5	1	1	0	40
महाराष्ट्र	1	5	0	1	2	4	12	17	19	2	2	0	65
मेघालय	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
ओडिशा	7	2	1	4	3	2	27	0	4	0	1	0	51
पंजाब	0	1	2	1	3	2	0	19	5	1	0	2	36
पुडुचेरी	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
राजस्थान	0	19	1	3	0	3	0	31	12	0	1		70
तमिलनाडु	0	14	3	1	4	2	2	18	21	1	1	1	68
तेलंगाना	0	8	0	2	0	0	1	0	2	0	1	0	14
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
उत्तर प्रदेश	1	3	1	5	4	8	1	1	19	1	2	1	47
उत्तराखंड	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	1	0	5	1	14	1	3	1	27
कुल	13	125	24	44	30	37	100	133	191	18	16	6	737

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1668
जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध आंदोलन

1668. श्री संजीव कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर उत्तर मध्य झारखंड में आंदोलन किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो आंदोलनकर्ताओं की उचित मांगों पर ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) आंदोलन के दौरान कुल कितने लोगों की जानें गईं; और
- (घ) परिवारों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, तो कितना?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। यह सूचित किया गया है कि पकरी बरवाडीह कोयला खनन स्थल पर एनटीपीसी द्वारा कुछ भूमि अधिग्रहण के आंदोलन हुए हैं।

(ख) : इस संबंध में, एनटीपीसी द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) : दिनांक 01.10.2016 को पुलिस की फायरिंग में चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

(घ) : एनटीपीसी ने प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को 8 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा भी प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए तक तथा घायलों को 20,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है।

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1668 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आंदोलनकारियों की मांगों का समाधान करने के लिए एनटीपीसी द्वारा उठाए गए कदम

- मुआवजे के भुगतान एवं भू-विस्थापितों की शिकायतों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
- परियोजना प्रभावित गांवों एवं बरकागांव तथा लंगाटू में मुआवजा भुगतान शिविरों के आयोजन किये जा रहे हैं।
- मुआवजे के भुगतान में किसी बिचौलिए को रोकने के लिए सभी भुगतान बैंक एवं आरटीजीएस के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं।
- खान विकासकर्ता-सह-प्रचालक (एमडीओ) द्वारा लगभग 400 भू-विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त, 150 भू-विस्थापित आईटीआई/कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- निःशुल्क दवाई के साथ, चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस सेवा, गर्मी के दिनों में टैंकर द्वारा पेयजल का वितरण, कंबल एवं मच्छरदानी का वितरण, पीसीसी सड़क निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट संस्थापना एवं सोलर लैंटर्न वितरण, स्कूलों में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला दौरा आदि जैसी नियमित सामुदायिक विकास (सीडी) गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
- जिला खनिज निधि में अंशदान किया जा रहा जिसे सार्वजनिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रभावित गांवों को पहुंचाया जा रहा है।
- बसे हुए क्षेत्र के बाहर कोयला निकासी के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग निर्माणाधीन हैं।
- जनसूचना केंद्र (पीआईसी) ग्रामीणों के साथ नियमित बातचीत के लिए कार्य कर रहा है।
- वीडिपीसी (ग्राम विकास सलाहकार समिति) का गठन किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1669
जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत सहभाजन हेतु फार्मूला

1669. डॉ. वी. मैत्रेयनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादनकर्ता राज्यों को विद्युत का अधिकतम भाग देने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच विद्युत सहभाजन संबंधी फार्मूला को संशोधित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तमिलनाडु में विभिन्न केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों में वर्तमान में अपनाया गया विद्युत सहभाजन संबंधी पैटर्न क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने अलग-अलग राज्यों में केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से उत्पादित विद्युत का अधिकतम भाग राज्य सरकारों को आबंटित किया है; और
- (घ) यदि हां, तो विशेष रूप से तमिलनाडु के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्तमान में, केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत अप्रैल, 2000 से विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्युत के आबंटन के फॉर्मूले के अनुसार आबंटित की जाती है।

(ख) और (घ) : विभिन्न केंद्रीय संयंत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए अपनाए गए वर्तमान शेयरिंग पैटर्न का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र (4x1000 मेगावाट) तथा कलपक्कम (2x500 मेगावाट) तमिलनाडु को 50% आबंटन किया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1669 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्रीय उत्पादक केंद्रों से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल, 2000 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्युत का आबंटन, विद्युत-आबंटन के फार्मूले के अनुसार किया जाता है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात् 85% का निश्चित आबंटन होता है तथा 15% की अनाबंटित विद्युत तात्कालिक/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए आबंटित की जाती है।

निश्चित आबंटन में, जल विद्युत केंद्रों के मामले में प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% (सशुल्क) विद्युत का आबंटन शामिल है।

शेष विद्युत (हाइड्रो के मामले में 72% तथा ताप एवं नाभिकीय के मामले में 75%) का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय योजना सहायता के पैटर्न तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत के अनुसार, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए, किया जाता है। केंद्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान देने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुसार निश्चित आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

एनटीपीसी की 14 नई परियोजनाओं में, केंद्र सरकार ने जनवरी, 2011 में, 'गृह' राज्य को 50% विद्युत का आबंटन करने का, 15% अनाबंटित विद्युत भारत सरकार के अधिकार में रखने का और उस क्षेत्र के अन्य संघटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को, विद्युत के आबंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय योजना सहायता और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा विगत 5 वर्षों में की गई ऊर्जा खपत को समान महत्व देते हुए 35% विद्युत का आबंटन करने का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार की व्यवस्था नाभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1670

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण कम करने की प्रौद्योगिकी का उपयोग

1670. श्री हुसैन दलवाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण कम करने संबंधी प्रौद्योगिकी लगाने के लिए वर्ष 2015 में विनियम बनाए थे, जो दिसम्बर, 2017 से प्रभावी होंगे;
- (ख) यदि हां, तो क्या सभी ताप विद्युत संयंत्रों ने यह प्रौद्योगिकी लगा ली है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 300 से अधिक ताप विद्युत संयंत्रों को यह प्रौद्योगिकी लगाने के लिए 2-3 वर्षों की छूट दी है; और
- (ङ) यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों का ब्यौरा क्या है, इनके द्वारा कितना प्रदूषण होता है और छूट दिये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने 07 दिसंबर, 2015 को ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) संशोधन नियमावली, 2015 अधिसूचित की है। इन नियमों में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए नई पर्यावरण मानकों की व्यवस्था है। 31.12.2016 तक शुरू किए गए सभी विद्यमान कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के मानकों की 06 दिसंबर, 2017 तक और निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्रों के मानकों की 01 जनवरी, 2017 से अनुपालना किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) : कई ताप विद्युत संयंत्रों ने निम्नलिखित कारणों की वजह से अपेक्षित प्रौद्योगिकी नहीं लगाई है:

- I. डिजाइन और इंजीनियरिंग, अनुमोदन, निधियों की व्यवस्था, टेंडरिंग और इरेक्शन, परीक्षण एवं शुरू करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। प्रत्येक यूनिट द्वारा डीसल्फराइजेशन के लिए नियंत्रण उपकरण की संस्थापना के लिए 24-36 माह की कार्यान्वयन अवधि अपेक्षित होती है।
- II. संयंत्रों/यूनिटों को एक साथ बंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियोजित बंदी की आवश्यकता होती है।
- III. एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित नाइट्रस उत्सर्जन शर्तों का पूरी तरह से पालन करने के लिए कुछ यूनिटों में सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन (एससीआर) अथवा सेलेक्टिव नॉन-कैटालाइटिक रिडक्शन (एसएनसीआर) प्रणाली संस्थापित किए जाने की आवश्यकता है। ये प्रौद्योगिकियां स्वदेशी स्थितियों के अंतर्गत अभी प्रमाणित नहीं हैं।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1671

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन तथा संवितरण करने वाली दबावग्रस्त
निजी कंपनियों का पुनरुद्धार

1671. श्री आनन्द शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत उत्पादन और संवितरण क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियों का ब्यौरा क्या है और इसमें निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का भाग कितना है;
- (ख) क्या विद्युत का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यम ऋणग्रस्त निजी कंपनियों को उबार रहे हैं और यदि हां, तो ऐसी निजी कंपनियों की कुल संख्या के साथ उनके ऋण की राशि जिनसे उन्हें उबारा जाना है तथा अवधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इन ऋणग्रस्त कंपनियों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों की वसूली कब तक की जाएगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वित्तीय सेवाएं विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्युत उत्पादन और वितरण परियोजनाओं में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के दबावग्रस्त अग्रिमों और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में उनके हिस्से इस प्रकार है :

क्षेत्र	उत्पादन क्षेत्र में दबावग्रस्त अग्रिम (राशि करोड़ में)	वितरण क्षेत्र में दबावग्रस्त अग्रिम (राशि करोड़ में)
सार्वजनिक (केन्द्रीय पीएसयू+राज्य पीएसयू)	9,205	2,860
निजी	75,055	2,518
कुल	84,260	5,378

(ख) : वर्तमान में, एनटीपीसी के पास दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को अधिग्रहण करने या संविदा आधार पर उधार लेकर प्रचालन करके उनको सक्षम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की रघुनाथपुर ताप विद्युत केन्द्र-फेज-1 (2X660 मेगावाट) (दबावग्रस्त परिसंपत्ति) को अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया है। एनएलसी ने दो उपयुक्त दबावग्रस्त विद्युत परिसंपत्तियों को उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर संभाव्य अधिग्रहण करने के लिए शार्टलिस्ट किया है।

(ग) : एनपीए लेखों में वसूली एक सतत प्रक्रिया है, जो कि विभिन्न कारकों जैसे ऋणी कंपनियों से संबंधित मुद्दे, बाहरी पर्यावरण, समाधान योजना आदि पर निर्भर करती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1672

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

क्रय समझौता नहीं करने वाले निजी विद्युत संयंत्रों को हानि

1672. श्री राजकुमार धूतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निजी क्षेत्र के जिन विद्युत संयंत्रों ने सरकार या विद्युत वितरकों के साथ दीर्घकालिक खरीद समझौता नहीं किया है, उन्हें हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार, सरकार ने दबावग्रस्त सूचित 34 ताप विद्युत (कोयला आधारित) विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। विद्युत क्रय करार (पीपीए) की व्यवस्था की कमी को विद्युत क्षेत्र में दबाव के कारणों में से एक कारण के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ग) : विद्युत की मांग में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

क. देश की विद्युत वितरण यूटिलिटियों (डिस्कामों) के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक टर्नअराउण्ड के लिए उज्ज्वल डिस्काम एशयारेंस योजना (उदय)।

ख. प्रत्येक घर, उद्योग, वाणिज्यिक व्यवसाय, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा स्थापना के लिए विद्युत की निर्बाध गुणवत्ता लाने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए विद्युत (पीएफए) पहल।

ग. ग्रामीण विद्युतकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण तथा ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।

घ. शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए समेकित विद्युत विकास स्कीम योजना (आईपीडीएस); शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा वितरण क्षेत्र की आईटी सक्षमता।

ङ. पारेषण बाधाओं को दूर करने के लिए पारेषण क्षमता संवर्द्धन।

च. विद्युत उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1673

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

संवितरण के संबंध में संभावी योजना

1673. श्री रंजिब बिस्वाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक नई दीर्घकालिक संवितरण संबंधी संभावी योजना बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी हितार्थियों के साथ विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हितार्थियों, विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना के कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2021-22 तक पहली वितरण संभावी योजना तैयार करने की पहल शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और विद्युत की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वितरण अवसंरचना विकास के लिए दीर्घावधिक डिस्कॉम-वार और वर्ष-वार होना है।

(ग) से (ङ) : वितरण संभावी योजना का प्रारूप देश की वितरण कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। योजना के प्रारूप पर परामर्श करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य पणधारकों के साथ शेरर किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1674

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत के सीमा पार व्यापार हेतु दिशा-निर्देश

1674. श्री टी. रतिनावेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत के सीमा-पार व्यापार को सुगम बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;
- (ख) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बनाए गए समुचित विनियम सभी भागीदार कंपनियों पर बाध्यकारी होंगे;
- (ग) क्या वर्तमान में बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ विद्युत का सीमा पार व्यापार किया जाता है; और
- (घ) क्या यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा किए गये अध्ययन में यह अनुमान लगाया है कि 2015-20 में क्षेत्र में विद्युत का वार्षिक सीमा पार व्यापार 11-31 बिलियन यूनिट होने की संभावना है जो 2034 तक 330 बिलियन यूनिट तक बढ़ सकता है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हां।

(ख) : जी, हां। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा बनाए गए विनियम सभी पक्षकार कंपनियों पर बाध्यकारी होंगे।

(ग) : जी, हां।

(घ) : भारत सरकार को ऐसी कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1675
जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

1675. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:
श्री के.सी. राममूर्ति:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बड़ी संख्या में गांवों में अभी भी विद्युतीकरण किया जाना है और यदि हां, तो राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कितने गांवों में विद्युतीकरण किया जाना शेष है;
- (ख) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांवों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सभी गांवों का कब तक विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 30 जून, 2017 तक देश में 3,618 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत मई, 2018 तक इन सभी गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। देश के गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है। इन गांवों के विद्युतीकरण के लिए परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं।

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1675 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों की संख्या (30.06.2017 की स्थिति के अनुसार)
1	अरुणाचल प्रदेश	1,212
2	असम	480
3	बिहार	263
4	छत्तीसगढ़	280
6	जम्मू व कश्मीर	102
7	झारखंड	481
8	कर्नाटक	11
9	मध्य प्रदेश	47
10	मणिपुर	66
11	मेघालय	168
12	मिजोरम	12
13	ओडिशा	434
14	राजस्थान	1
15	उत्तर प्रदेश	6
16	उत्तराखंड	51
17	पश्चिम बंगाल	4
	कुल	3,618

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1676

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

ऊर्जा पारेषण में अनुसंधान और विकास

1676. डॉ. आर. लक्ष्मणनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ऐसी सामग्री से बने उपकरणों का प्रयोग करने के लिए ऊर्जा पारेषण के क्षेत्र में कोई अनुसंधान और विकास कार्य प्रारंभ किया है जो विद्युत के पारेषण, ट्रांसफोरमेशन, उप-पारेषण तथा संवितरण के दौरान ऊर्जा के नष्ट होने को न्यूनतम कर सके;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा पारेषण के क्षेत्र में निम्नलिखित अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परियोजनाएं शुरू की हैं:

- (i) उच्च शक्ति, ताप विस्तार का कम गुणांक, कम क्रीप, कम जंक लगने की दर, बढ़ी एम्पैसिटी तथा पारेषण एवं वितरण ग्रिड की उन्नत विश्वसनीयता आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च ताप लो सैग नैनो कंपोजिट कोर का विकास।
- (ii) मॉड्यूलर सुपर-कंडक्टिंग फॉल्ट करेंट लिमिटर (एसएफसीएल) प्रणाली आधारित दूसरी पीढ़ी की उच्च तापमान सुपर-कंडक्टर (एचटीएस) का विकास एवं एसी करेक्टराइजेशन।
- (iii) 1200 केवी कंडक्टरों के लिए एसी कोरोना फिनोमिना एवं विद्युत हानि का अध्ययन तथा अच्छे एवं खराब मौसम में भिन्न विन्यास बंडलकृत कंडक्टरों के लिए एसी कोरोना विद्युत हानि के मूल्यांकन हेतु लाइन/उप-केंद्र घटकों से कोरोना बहावों के करेक्टराइजेशन और 1200 केवी पारेषण लाइनों के लिए कोरोना कार्य-निष्पादन पर आधारित बंडलकृत कंडक्टर विन्यास का इष्टतमीकरण।

इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में लगा हुआ है तथा नई प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों को वाणिज्यिक परियोजनाओं में अपनाने के पूर्व उनके वैधीकरण की आवश्यकता एवं प्रचालनात्मक अनुभव प्राप्त करने हेतु पायलट परियोजनाएं चलाता है। भारतीय विनिर्माताओं के सहयोग से पीजीसीआईएल ने 1200 केवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज (यूएचवी) एसी प्रणाली प्रौद्योगिकी का स्वदेश में विकास किया गया है, वाणिज्यिक परियोजनाओं में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने से विद्युत पारेषण में ऊर्जा की हानि में कमी आएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1677

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जल-विद्युत का उत्पादन

1677. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 2019 तक कितनी मात्रा में अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन की संभावना है;
- (ख) क्या कई जल विद्युत उत्पादन संबंधी परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं जिससे परियोजना की अनुमानित लागत बढ़ गई है;
- (ग) यदि हां, तो परियोजना पूरी किये जाने की समयावधि तथा आरंभ होने में आने वाली लागत में बढ़ोत्तरी तथा प्रत्येक मामले के निष्पादन में विलंब के कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) लंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने की योजना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनएचपीसी द्वारा वर्तमान निर्माणाधीन अपनी दो जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात् अक्टूबर, 2018 में हिमाचल प्रदेश में किये जाने के लिए निर्धारित पारबती-II जल विद्युत परियोजना (800 मेगावाट) और जनवरी, 2018 में शुरू किए जाने के लिए निर्धारित जम्मू एवं कश्मीर में किशनगंगा जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट) से 4458.69 मिलियन यूनिट (एमयू) अतिरिक्त विद्युत (डिजाइन ऊर्जा पर आधारित) उत्पादन किया जाना निर्धारित है।

(ख) और (ग) : वर्तमान में, देश में 11,792.5 मेगावाट की कुल 41 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। उपरोक्त सभी परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं। इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने का समय लागत वृद्धि और प्रत्येक मामले में निष्पादन में विलम्ब के कारण **अनुबंध** में संलग्न हैं।

(घ) : सरकार ने लम्बित परियोजनाओं को शीघ्रता से शुरू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(च) के अनुसरण में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की निगरानी कर रहा है। प्रत्येक परियोजना की प्रगति की निरंतर निगरानी स्थल दौरों, विकासकर्ताओं एवं अन्य पणधारियों के साथ बातचीत के माध्यम से की जाती है। अध्यक्ष, सीईए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) और सीईए के निगरानी प्रभागों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) जल परियोजनाओं के प्रगति की स्वतंत्र रूप से निगरानी करता है।
- विद्युत मंत्रालय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटीयों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित रूप से चालू जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करता है।
- केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) की परियोजनाओं के मामले में परियोजना कार्यान्वयन पैरामीटरों/माइलस्टोनों को संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में शामिल किया जाता है और इसकी निगरानी सीपीएसयू की त्रैमासिक निष्पादन समीक्षा बैठकों और विद्युत मंत्रालय/सीईए में हुई अन्य बैठकों के दौरान की जाती है। विद्युत-मशीनी उपस्कर के निर्माण और आपूर्ति से संबंधित मामले सीईए/विद्युत मंत्रालय में की गई। विभिन्न बैठकों में भेल के साथ तेजी से निर्णय लिया जाता है और कार्यों की प्रगति को प्रभावित करने वाले अन्य स्थानीय मुद्दे संबंधित सीपीएसयू/विद्युत मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाए जाते हैं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1677 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

समय आधिक्य/लागत आधिक्य वाली निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

30.06.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
केंद्रीय क्षेत्र													
1	तपोवन विष्णुगाड (4x130 = 520 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	1 2 3 4	130 130 130 130	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16	2019-20 2019-20 2019-20 2019-20	84	2978.48 (11/06)	3846.30 (01/14)	3846.30 (01/14)	867.82	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एचआरटी में खराब भूविज्ञान के कारण अत्यधिक जल का प्रवेश और टीबीएम पर पत्थर गिरे। टीबीएम तीन बार फंसी। ➤ जून, 2013 और अगस्त, 2012 में अचानक बाढ़ से कॉपर डैम को क्षति। ➤ बैराज और एचआरटी की सिविल संविदा की समाप्ति
2	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	1 2 3	57 57 57	2017-18 2017-18 2017-18		2021-22 2021-22 2021-22	48	1527.00 (12/06)		1801.07 (12/13)	274.07	<ul style="list-style-type: none"> ➤ उत्तराखंड में जून, 2013 के दौरान अचानक बाढ़। ➤ बैराज क्षेत्र में स्थानीय मामले/कार्य प्रारंभ न होना। ➤ माननीय उच्चतम न्यायालय ने मई, 2014 से निर्माण कार्य पर रोक लगाई।
3	रम्माम-III (3x40= 120 मेगावाट)	पश्चिम बंगाल	1 2 3	40 40 40	2019-20 2019-20 2019-20		2020-21 2020-21 2020-21	12	1381.84		1592.34	210.50	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एडिट-1 से एडिट-2 तक पहुँच सड़क के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से वृक्ष काटने के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलंब।
4	पारे	अरुणाचल	1	55	2012-13		2017-18	60	573.99	1337.76	1339.57	765.58	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कानून-व्यवस्था की समस्या।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
	(2x55 = 110 मेगावाट) नीपको	प्रदेश	2	55	2012-13 (अगस्त, 12)		2017-18 (मार्च, 18)		(06/07)		(01/16)		<ul style="list-style-type: none"> कमजोर भूविज्ञान। खराब पहुंच सड़क। जून-सितंबर, 2015 के दौरान अचानक बाढ़। बांध क्षेत्र में पानी भर गया, बांध का कंक्रिटिंग कार्य 04 महीने तक बाधित रहा।
5	तुरियल (2x30 = 60 मेगावाट) नीपको	मिजोरम	1 2	30 30	2006-07 2006-07 (जुलाई, 06) (जनवरी, 14) आरसीई-1	2013-14 2013-14 (जनवरी, 14) आरसीई-1	2017-18 2017-18 (सितंबर, 17)	132	368.72 (06/97)	913.63 (जून, 10) (आरसीई-1) 1329.43 (आरसीई-11)	1329.43 (12/14)	960.71	<ul style="list-style-type: none"> विगत में स्थानीय विरोध के कारण लगभग सात वर्ष (जून, 2004 से जन.-2011) कार्य लंबित रहा। परिणामस्वरूप संशोधित अनुमोदन (आरसीई-1) जन.-2011 में दिया गया। खराब पहुंच सड़क। पावर हाउस में स्लोप का विफल होना। ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त जुटाव। ईएंडएम कार्यों के लिए इरेक्शन ठेकेदार का विलंबित जुटाव।
6	कामेंग (4x150 = 600 मेगावाट) नीपको	केंद्रीय	1 2 3 4	150 150 150 150	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 (दिसंबर, 09)		2017-18 2017-18 2018-19 2018-19	96 108	2496.90 (03/04)		6179.96	3683.06	<ul style="list-style-type: none"> बांध पैरामीटरों में परिवर्तन। खराब भूविज्ञान, अत्यधिक रिसाव, अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं एचआरटी में धीमी प्रगति। अक्टूबर, 2008 और सितंबर, 2012 में अचानक बाढ़। एचआरटी में जल का प्रवेश। खराब पहुंच सड़क। संविदात्मक मामले। मिलावे की कमी। राज्य सरकार से खदान के लिए स्वीकृति। कार्य की धीमी प्रगति।
7	टिहरी पीएसएस (4x250 = 1000 मेगावाट) टीएचडीसी	उत्तराखंड	1 2 3 4	250 250 250 250	2010-11 2010-11 2010-11 2010-11	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16	2020-21 2020-21 2020-21 2020-21	20	1657.60 (दिसंबर-05)	2978.86 (अप्रैल, 10)	2978.86	1321.26	<ul style="list-style-type: none"> एल-1 कीमत बोली के लागत आकलन से ज्यादा होने के कारण आरसीई का अनुमोदन। आरसीई नवंबर, 2011 में अनुमोदित किया गया। संविदाकार के साथ नकद प्रवाह समस्या।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
					(जुलाई, 10)	(फरवरी, 16) आरसीई-1							<ul style="list-style-type: none"> ➤ बोलीकर्ताओं द्वारा मुकदमेबाजी। ➤ खराब भूविज्ञान। ➤ असेना खदान में स्थानीय विरोध। ➤ मक डिस्पोजल क्षेत्र में विरोध। ➤ संविदाकर्ता द्वारा खराब तैयारी। ➤ खराब भौगोलिक स्थिति के कारण मशीन हॉल के ले आउट का संशोधन।
8	पारबती-II (4x200 = 800 मेगावाट) एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	1 2 3 4	200 200 200 200	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 (सितंबर, 09)		2019-20 2019-20 2019-20 2019-20	120	3919.59 (12/01)		8398.75 (03/15)	4479.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने स्टोन क्रशर प्रचालन पर रोक लगाई। ➤ संशोधित वन स्वीकृति में विलंब। ➤ नवंबर, 2006 में टीबीएम फेस में पानी और कीचड़ के भारी मात्रा में प्रवेश करने के कारण टीबीएम को अत्यधिक क्षति हुई। ➤ अप्रैल, 04, जून, 06 और फरवरी, 07 में पावर हाउस क्षेत्र में स्खलन। ➤ 2004, 2005, 2010 और 2011 में अचानक बाढ़। ➤ केविटी ट्रीटमेंट के कारण जीवा नाला कार्य प्रभावित हुआ। ➤ संविदा संबंधी मामले ➤ एचआरटी में कमजोर भू-विज्ञान।
9	सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2000 मेगावाट) एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश/असम	1 2 3 4 5 6 7 8	250 250 250 250 250 250 250 250	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11		2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (कार्यों के	120	6285.33 (12/02)		17435.15 (02/16)	11149.82	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वनभूमि के हस्तांतरण में विलंब। ➤ अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। ➤ जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता। ➤ रंगानदी नदी पर पुल को क्षति। ➤ सर्ज शॉफ्ट्स से सर्ज टनल्स के डिजाइन में परिवर्तन। ➤ असम में, परियोजना के निर्माण के विरोध में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रारंभ आंदोलन के कारण कार्यबंदी। दिनांक 16.12.2011 से कार्य रुका।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
							पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)						<ul style="list-style-type: none"> डी/एस प्रभाव अध्ययनों का मामला। एनजीटी में मामला।
10	किशनगंगा (3x110 = 330 मेगावाट) एनएचपीसी	जम्मू व कश्मीर	1 2 3	110 110 110	2014-15 2014-15 2014-15 (जुलाई, 14)	2015-16 2015-16 2015-16 (जनवरी, 16)	2017-18 2017-18 2017-18 (मार्च-18)	36	2238.67 (11/05)	3642.04 (09/07)	5783.17 (09/15)	3544.50	<ul style="list-style-type: none"> एल-1 मूल्य बोली लागत अनुमान से ज्यादा थी, अतः आरसीई का अनुमोदन। आरसीई जन.-2009 में अनुमोदित हुआ। मार्च, 2011 में भारी बारिश। एचआरटी-टीबीएम भाग में केविटी। एक्सेस टनल में खराब भूविज्ञान। अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता कार्यवाहियों के कारण बांध कार्य प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों द्वारा एनएचपीसी में रोजगार की मांग। आरएंडआर मामले। विद्युत निकासी प्रबंध को पूर्ण करना (पीजीसीआईएल) कश्मीर घाटी में अशांति के कारण 09.07.2016 से विद्युत गृह क्षेत्र में कार्य का रुकना। जनवरी, 2017 में आंशिक कार्य पूरा किया गया।
11	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111 = 444 मेगावाट) टीएचडीसी	उत्तराखंड	1 2 3 4	111 111 111 111	2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 (जून, 13)		2020-21 2020-21 2020-21 2020-21	84	2491.58 (03/08)		2491.58 (03/08)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> अगस्त, 2008 में सीसीईए अनुमोदन परंतु वन स्वीकृति/वन भूमि के परिवर्तन के कारण कार्य अवाई नहीं किया जा सका। वन भूमि जनवरी, 14 में अधिगृहीत की गई तथा बाद में जनवरी, 2014 में कार्य अवाई किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा कार्य बाधित। संविदाकार के साथ नकद प्रवाह समस्या।
	राज्य क्षेत्र												
12	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	जम्मू व कश्मीर	1 2 3	12.5 12.5 12.5	2018-19 2018-19 2018-19		2020-21 2020-21 20 20-21	24	640.41		640.41	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> कार्य की धीमी प्रगति। भूमि अधिग्रहण में विलंब।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
13	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	जम्मू व कश्मीर	1 2	24 24	2017-18 2017-18		2020-21 2020-21	36	576.87 (12/12)		576.87 (12/12)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संविदाकार द्वारा अपर्याप्त जनशक्ति एवं मशीनरी जुटाना ➤ आरएंडआर योजना को अंतिम रूप देने में विलंब। ➤ कार्य की धीमी प्रगति। ➤ संविदा के साथ निधि संबंधी समस्याएं। सीडीआर के अंतर्गत संविदाकार
14	उहल-III (3x33.33 = 100 मेगावाट) बीवीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	33.33 33.33 33.33	2006-07 2006-07 2006-07		2017-18 2017-18 2017-18	132	431.56 (09/02)		940.84 (03/08)	509.28	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वनभूमि के हस्तांतरण में विलंब। ➤ निजी भूमि के अधिग्रहण में विलंब। ➤ खदान स्थलों के स्थानांतरण में विलंब। ➤ कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ संविदाकार द्वारा धीमी प्रगति और कार्य न करने के कारण अप्रैल, 2008 और जुलाई, 2010 के दौरान एचआरटी निर्माण के लिए संविदा दो बार रद्द की गई। ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति।
15	स्वारा कुड्डू (3x37 =111 मेगावाट) एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	37 37 37	2010-11 2010-11 2010-11		2018-19 2018-19 2018-19	96	558.53 (03/03)		1181.90 (03/12)	623.37	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एमओईएफ स्वीकृति में विलंब। ➤ सिविल एवं इंजंअम कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ एचआरटी लाइनिंग की धीमी प्रगति। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ एचआरटी पैकेज के लिए संविदा 09.01.2014 को समाप्त की गई। मैसर्स एचसीसी को नवंबर, 2014 में पुनः अवाई की गई।
16	सैंज (2x50 = 100 मेगावाट) एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2014-15 2014-15		2017-18 2017-18	36	784.56		संशोधनाधीन	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एचआरटी और बैराज कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ स्थानीय मुद्दे। ➤ संविदाकार के साथ नकद प्रवाह की समस्या ➤ संविदा संबंधी मामले।
17	शॉगटम करछम (3x150 = 450 मेगावाट) एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	150 150 150	2017-18 2017-18 2017-18		2019-20 2019-20 2019-20	24	2807.83		3316.35	508.52	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आर्मी एम्यूनिशन डिपो का स्थानांतरण। ➤ स्थानीय मुद्दे।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
	16.08.2012												
18	पुलीचिंताला (4x30 = 120 मेगावाट) टीजीईएनसीओ	राज्य	1 2 3 4	30 30 30 30	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11		2016-17 2017-18 2017-18 2018-19	Comm. 84 96	380.00 (2006-07)		563.49	183.49	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ईएंडएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। ➤ अक्टूबर, 2009 और सितंबर, 2011 में अभूतपूर्व बाढ़। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ विद्युत गृह कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ पानी की अनुपलब्धता के कारण चालू करने में विलंब।
19	पल्लीवसल 2x30 = 60 मेगावाट केएसईबी	केरल	1 2	30 30	2010-11 2010-11		2020-21 2020-21	120	222.00 (1999)		284.69 (2007)	62.69	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ भूमि अधिग्रहण में विलंब। ➤ एचआरटी तक एडिट के संरेखण में परिवर्तन। ➤ एचआरटी में खराब भू-वैज्ञानिक स्ट्रुक्चर। ➤ भारी मानसून। ➤ संविदा संबंधी मामलों के कारण संविदाकार द्वारा 28.01.2015 से कार्य रोक दिया गया।
20	थोटियार (1x30+1x10)= 40 मेगावाट केएसईबी	केरल	1 2	30 10	2012-13 2012-13		2020-21 2020-21 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन)	96	136.79 (2007)		150.02 (2007)	13.23	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भूमि अधिग्रहण मुद्दे। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा वर्ष 2010 से 2012 तक वेयर और अप्रोच चैनल के कार्य रोक दिए गए। ➤ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2012 से अप्रैल, 2013 तक कार्य रोक दिया गया। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ संविदाकार के साथ वित्तीय कठिनाई।
21	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	पंजाब	1 2 3 4 5 6 7	33 33 33 33 33 33 8	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18		2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (कार्यों के	36 36	2285.81 (04/08)		2285.81 (04/08)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रावी नदी के पानी के हिस्से और प्रशुल्क के कारण जम्मू व कश्मीर और पंजाब के बीच अंतरराज्य विवाद से 29.08.2014 से डैम का कार्य रोक दिया गया।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
25	टिडोंग-I 2x50 =100 मेगावाट एनएसएल टिडोंग	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2013-14 2013-14		2018-19 2018-19 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन)	} 60	543.15 (08/05)		1286.27 (01/17)	743.12	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा एनओसी में विलंब। ➤ सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों को लंबित करना। ➤ विकासकर्ता के साथ निधि की समस्या
26	टंगनु रोमई-I (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2	22 22	2014-15 2014-15		2019-20 2019-20 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन)	} 60	255.00 (2006)		562.97 (01/17)	307.97	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ खराब भौगोलिक परिस्थिति। ➤ कठिन क्षेत्र। ➤ जलवायु परिस्थितियां एवं पहुंच। ➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय समस्याएं।
27	सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट), एचएसपीपीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2012-13 2012-13		2018-19 2018-19 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन)	} 72	586.00 (2006)		586.00 (संशोधनाधीन)	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ कठिन क्षेत्र। ➤ मौसमी स्थिति और पहुंच। ➤ वाटर कंडक्टर सिस्टम के भराव के दौरान पेनस्टॉक क्रैक्स/लीकेज। ➤ ट्रायल रन के दौरान नव.-15 में पेनस्टॉक सरफेस में दरार।
28	सिंगोली भटवारी (3x33 = 99 मेगावाट) एलएंडटी	उत्तराखंड	1 2 3	33 33 33	2012-13 2012-13 2012-13		2019-20 2019-20 (कार्य के सक्रिय रूप से शुरू होने के अध्यधीन)	} 84	666.47 (2008)		1577 (2008)	910.53	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एचआरटी में खराब भू-वैज्ञानिक स्थिति। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध। ➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़।
29	फाटा ब्यूंग (2x38 = 76 मेगावाट), लैंको	उत्तराखंड	1 2	38 38	2013-14 2013-14		2019-20 2019-20 (कार्य के सक्रिय रूप से शुरू होने के अध्यधीन)	} 72	520.00		1225.53	705.53	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़। ➤ एचआरटी में कमजोर भू-वैज्ञानिक स्थिति।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
							से शुरू होने के अध्यक्षीन)						
30	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	मध्य प्रदेश	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02		2018-19 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	204	1569.27 (96-97)		6793.00	5223.73	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आरएंडआर मुद्दे। ➤ विकासकर्ता के साथ नकद प्रवाह की समस्या।
31	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1 2 3 4	125 125 125 125	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13		2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	108	3283.08 (2008)		7542.00 (12/16)	4258.92	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ भूमि अधिग्रहण। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ विकासकर्ता के साथ निधि संबंधी बाधाएं।
32	रंगित-IV एचई परियोजना (3x40 = 120 मेगावाट) जेपीसीएल	सिक्किम	1 2 3	40 40 40	2011-12 2011-12 2011-12		2019-20 2019-20 2019-20 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन)	96	726.17 (09/07)		1692.60 (06/16)	966.43	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भू-वैज्ञानिक स्थिति के कारण एचआरटी और सर्ज शॉपट कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्य बाधित हुए। ➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
33	भास्मे (2x25.5 =51 मेगावाट)	सिक्किम	1 2	25.5 25.5	2012-13 2012-13		2019-20 2019-20	84	408.50		690.30	281.80	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वन स्वीकृति। ➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
	गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर												
34	रोंगनीचू (2x48 =96 मेगावाट) मध्य भारत प्रा. लि.	सिक्किम	1 2	48 48	2015-16 2015-16		2019-20 2019-20	48	491.32		1187	695.68	<ul style="list-style-type: none"> भूमि अधिग्रहण। खराब भू-वैज्ञानिक स्थिति।
35	रत्ले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट रत्ले एचईपी प्रा. लि.	जम्मू व कश्मीर	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18		2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरु होने के अध्यधीन)	48	5517.02 (03/12)		6257.00 (09/2013)	739.98	<ul style="list-style-type: none"> कार्यों की धीमी प्रगति। बार-बार स्थानीय बाधा के कारण कार्य दिनांक 11.7.14 से लंबित रहा। विकासकर्ता परियोजना को राज्य सरकार को सरेंडर करना चाहता है।
36	गोंगरी 2x72= 144 मेगावाट दिरांग एनर्जी (पी) लि.	अरुणाचल प्रदेश	1 2	72 72	2017-18 2017-18		2020-21 2020-21 (कार्यों के पुनः शुरु होने के अध्यधीन)	36	1436.27 (05/12)		1535.91 (10/16)	99.64	<ul style="list-style-type: none"> कार्य दिनांक 22.11.2011 को अवार्ड किया गया। तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति दिनांक 19.05.2014 को जारी हुई। विकासकर्ता के साथ वित्तीय समस्याएं।
37	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट मैसर्स जीएमआर बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	60 60 60	2017-18 2017-18 2017-18		2019-20 2019-20 2019-20	24	1696.93		2205.00	508.07	<ul style="list-style-type: none"> कार्यों की धीमी प्रगति।
38	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	सिक्किम	1 2	33 33	2017-18 2017-18		2019-20 2019-20 (कार्यों के पुनः शुरु होने के अध्यधीन)	24	496.44		496.44	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> कार्यों की धीमी प्रगति। विकासकर्ता के साथ वित्तीय समस्याएं।
39	पनन 4x75= 300 मेगावाट	सिक्किम	1 2	75 75	2018-19 2018-19		2021-22 2021-22	36	1833.05		2400.00	566.95	<ul style="list-style-type: none"> एनडब्ल्यूएलबी से स्वीकृति दिसंबर, 2015 में प्राप्त। एनजीटी द्वारा स्वीकृति।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की संशोधित अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
	हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.		3 4	75 75	2018-19 2018-19		2021-22 2021-22 (कार्य के सक्रिय रूप से शुरू होने के अध्येधीन)		(2009)		(09/16)		
40	ताशिडिंग 2x48.5=97 मेगावाट शीघा एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1 2	48.5 48.5	2015-16 2015-16		2017-18 2017-18	24	465.95		465.95	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ स्थानीय मामले।
41	चंजू-1 3x12=36 मेगावाट आईए एनर्जी	HP	1 2 3	12 12 12	2014-15 2014-15 2014-15		2016-17 2016-17 2017-18	चालू की गई. चालू की गई 36	295.09		295.09	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यो की धीमी प्रगति। ➤ खराब भौगोलिक स्थिति।
